

Press Release

A Notice dated 14/07/2020, 16/07/2020 & 18/07/2020 was published in the Daily Telegram and all leading Newspapers inviting Stakeholder data for Preparation/ Revision/ Updation of Coastal Zone Management Plans (CZMPs) in accordance with the provision of Coastal Regulation Zone (CRZ) CRZ Notification, 2019 for 14 Islands already framed under IPZ Notification, 2011 by National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai.


The NCSCM now has submitted the draft Executive summary, ICRZ plan & Coastal Land use Maps (11 Sheets each) for Little Andaman Island with the request to submit comments & suggestions. These Maps and draft Executive summary have been uploaded on the website andaman.gov.in of A & N Administration and forest.and.nic.in Or Isl.and.nic.in/doef of Department of Environment & Forest, A & N Administration.

While submitting suggestions & comments on these draft Executive summary, ICRZ & Coastal Land use Maps provisions of Island Coastal Regulation Zone Notification, 2019 may be referred to. The CRZ Notification, 2019 may be seen at andaman.gov.in of A & N Administration and forest.and.nic.in Or Isl.and.nic.in/doef of Department of Environment & Forest, A & N Administration.

Any existing/ proposed Projects/ Master Plans of present and future development within frame of 10 years that has to be included in the draft ICRZ plan Map and Coastal land use map be submitted in geo referenced and digitized soft copy (ArcGIS/Shapefile/KML format) for incorporating them in the revised/final ICRZ and Coastal Land use Map.

Further, considering the various measures and direction issued by the Govt. of India and A & N Administration for management and containment of COVID-19 for public and work places only soft copies of the Executive summary and Maps have been made available in the Office of Chairman, ANCZMA (Chief Secretary), A & N Administration), Member Secretary, ANCZMA [PCCF (CRZ & FC)], Van Sadan, Haddo, Deputy Commissioner (South Andaman), Adhyaksh, Zilla Parishad (South Andaman), Member Secretary (Pollution Control Committee), Director (Tribal Welfare), Divisional Forest Officer (Little Andaman Division), Tehsildar (Hutbay) & Range Officer (Hutbay) for the public and suggestions are invited from the public and other Stakeholder's within a period of 30 days from the date of release of this Press note.

The suggestion/ comments and all required information in digital format as mentioned above may be submitted to the office of PCCF (CRZ & FC), Van Sadan, Haddo, Port Blair through e-mail apccf.crzfc@gmail.com.



प्रधान मुख्य वन संरक्षक / Principal Chief Conservator of Forests
(तटवर्ती अंचल एवं वन संरक्षण / CZ & FC)
सदस्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार तटवर्ती अंचल प्रबंध प्राधिकरण
and Member Secretary, A&N CZMA
वन सदन, हैडो, पोर्ट ब्लेयर / Van Sadan, Haddo, Port Blair

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय धारणीय तटीय प्रबंधन केन्द्र, चेन्नई, द्वारा पहले से ही आईपीजेड अधिसूचना 2011 के तहत गठित चौदह द्वीपों के लिए तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 2019 की तटीय विनियम क्षेत्र के प्रावधानों के अनुसार तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को तैयार /संशोधन /अद्यतन करने के लिए हितधारक आंकड़े आमंत्रित करते हुए दी डेयली टेलीग्राम और सभी प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 14/07/2020, 16/07/2020 एवं 18/07/2020 को सूचना प्रकाशित की गई थी।


राष्ट्रीय धारणीय प्रबंधन केन्द्र, चेन्नई ने अब लीटिल अण्डामान द्वीप का तटीय विनियम क्षेत्र का प्रारूप कार्यकारी सारांश, द्वीप तटवर्ती विनियम अंचल योजना एवं तटीय भूमि उपयोग मानचित्र (प्रत्येक ग्यारह शीट), टिप्पणी एवं सुझाव का अनुरोध करते हुए प्रस्तुत किया है। इन मानचित्रों को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट andman.gov.in एवं forest.and.nic.in अथवा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग के वेबसाइट isl.and.nic.in/doef में अपलोड किया गया है।

तटीय विनियम क्षेत्र योजना एवं तटीय भूमि उपयोग मानचित्र और प्रारूप कार्यकारी सारांश, के सुझावों एवं टिप्पणियों को प्रस्तुत करते समय द्वीप विनियम क्षेत्र अधिसूचना 2019 के प्रावधानों का उल्लेख किया जा सकता है। तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना 2019, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट andman.gov.in एवं forest.and.nic.in अथवा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग के वेबसाइट isl.and.nic.in/doef में देख सकते हैं।

दस वर्षों के अवधि में वर्तमान एवं भविष्य के कोई भी मौजूदा/प्रस्तावित परियोजनाएं/मास्टर प्लान जिन्हें संशोधित द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र मानचित्र एवं तटीय भूमि उपयोग मानचित्र में शामिल किया जाना है उसे भू-संदर्भ और डिजिटाइस्ड सोफ्ट कॉपी (ArcGIS/Shapefile /KMLफॉर्मट) में प्रस्तुत करना है।

जन एवं कार्य क्षेत्र में कोविड-19 के प्रबंधन एवं रोकथाम के लिए भारत सरकार, एवं अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा विभिन्न उपायों एवं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मात्र मानचित्रों के सोफ्ट कॉपी, चेयरमैन के कार्यालय, ANZMA (मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन), सदस्य सचिव ANZMA (प्र.मु.वस(सीआरजेड एवं एफसी)), वन सदन हैडों, उपायुक्त (दक्षिण अण्डामान), अध्यक्ष, जिला परिषद (दक्षिण अण्डामान), सदस्य सचिव (प्रदूषण नियंत्रण कमिटी), निदेशक (जनजाति कल्याण), प्रभागीय वन अधिकारी (लीटिल अण्डामान प्रभाग), तहसीलदार (लीटिल अण्डामान), एवं रेंज अधिकारी (लीटिल अण्डामान) एवं आम जनता के लिए। इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीस दिवस के भीतर आम जनता एवं हितधारकों से सुझाव एवं टिप्पणिया आमंत्रित की जाती हैं।

टिप्पणिया/सुझाव तथा आवश्यक जानकारियों उपरोक्त बताये डिजिटल फॉर्मेट में प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सीआरजेड एवं एफसी) का कार्यालय वन सदन हैडों में ईमेल(apccf.crzfc@gmail.com) के माध्यम से प्रस्तुत करें।


25/08/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (तटवर्ती अंचल एवं वन संरक्षण)
सदस्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार तटवर्ती अंचल प्रबंध प्राधिकरण
वन सदन हैडों, पोर्टब्लेयर।